

प्रेस नोट दिनांक 31.05.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

एसटीएफ कानपुर व थाना रानीगंज पुलिस की बड़ी कामयाबी — ₹50,000/- के इनामी अपराधी रणजीत सिंह उर्फ मेजर गिरफ्तार

अभियुक्त पर ₹50,000/- का पुरस्कार पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज द्वारा किया गया था घोषित

अभियुक्त रणजीत सिंह उर्फ मेजर के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ में हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, मारपीट, धमकी के जैसे कुल 10 संगीन मुकदमे पंजीकृत हैं।

योजनाबद्ध तरीके से हत्या के अभियोग में वांछित इनामी अभियुक्त गिरफ्तार

इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर जनपद वाराणसी के होटल मरीन, बड़ा लालपुर, के पास से किया गया गिरफ्तार

दिनांक 30.05.2025 को एसटीएफ टीम कानपुर उ0नि0 श्री राहुल परमार मय हमराह हे0का0 पुष्पेन्द्र सिंह, हे0का0 चन्द्रप्रकाश सिंह, हे0का0 देवेश द्विवेदी, हे0का0 अरविन्द, का0 सत्यम यादव मय चालक का0 शिवकुमार द्वारा मु0अ0सं0 01/25 धारा 103(1)/61(2) ए बीएनएस व 3 (2) V एससी/एसटी एक्ट थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 50 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त रणजीत सिंह उर्फ मेजर पुत्र स्व0 रामबहादुर सिंह निवासी ग्राम रतनमई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को जनपद वाराणसी के होटल मरीन, बड़ा लालपुर, के पास से गिरफ्तार किया गया ।

थाना रानीगंज पुलिस के सहयोग से दिनांक 30.05.2025 को एसटीएफ टीम कानपुर यूनिट उ0प्र0 द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर होटल मरीन, बड़ा लालपुर, जनपद वाराणसी से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी/ गिरफ्तारी में रानीगंज पुलिस टीम का सहयोग प्राप्त हुआ ।

पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज महोदय द्वारा शांतिर अभियुक्त रणजीत सिंह उर्फ मेजर पुत्र स्व0 रामबहादुर सिंह निवासी ग्राम रतनमई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष उपरोक्त की गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-

रणजीत सिंह उर्फ मेजर पुत्र स्व0 रामबहादुर सिंह निवासी ग्राम रतनमई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

अभियुक्त रणजीत सिंह उर्फ मेजर पुत्र स्व0 रामबहादुर सिंह निवासी ग्राम रतनमई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-2202015 धारा 323,504,506 भादवि व 3(1)(10)एससी/एसटी एक्ट थाना कंधई प्रतापगढ़ ।

मु0अ0सं0 555/2019 धारा 102बी,302,394 भादवि थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ ।

मु0अ0सं0 591/2019 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ ।

मु0अ0सं0 985/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ ।

मु0अ0सं0 303/2020 धारा 395 भादवि थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

मु0अ0सं0 319/2020 धारा 394 भादवि थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

मु0अ0सं0 320/2020 धारा 307 भादवि थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

मु0अ0सं0 386/2020 धारा 411,420,467,468,471 भादवि थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

मु0अ0सं0 109/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

मु0अ0सं0 01/2025 धारा 103(1),61(2)ए बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना रानीगंज, प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम-

एसटीएफ टीम कानपुर- उ0नि0 श्री राहुल परमार मय हमराह हे0का0 पुष्पेन्द्र सिंह, हे0का0 चन्द्रप्रकाश सिंह, हे0का0 देवेश द्विवेदी, हे0का0 अरविन्द, का0 सत्यम यादव मय चालक का० शिवकुमारा

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर के उ0नि0 राजेश शुक्ला मय हमराह उ0नि0 कैलाश यादव, का0 अनिल कुमार, का0 भागीरथ, म०आ० अमरज्योति के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर NBW फौजवाद न० 2068/12 अ०स० 12/04 धारा 435/323/504/86 भादवि थाना उदयपुर से संबंधित 03 वारंटी अभियुक्तों 01. बबलू सिंह पुत्र मूल सिंह उम्र करीब 46 वर्ष 02. कल्लू पुत्र भगवान गुप्ता उम्र करीब 53 वर्ष 03. रामनरेश पुत्र जोधा पाल निवासीगण ग्राम कुसौली थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

इसी क्रम में थाना उदयपुर के उ0नि0 राजेश शुक्ला मय हमराह उ0नि0 कैलाश यादव, का0 अनिल कुमार, का0 भागीरथ, म०आ० अमरज्योति के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर NBW फौज वाद सं० 65/22 अ०स० 116 / 21 धारा 323/427/34 भादवि थाना उदयपुर से संबंधित 02 वारंटी अभियुक्तों 1. कल्लू पुत्र सुन्दरलाल उम्र करीब 42 वर्ष 2. छोटेलाल सरोज पुत्र भगौती उम्र करीब 52 वर्ष निवासीगण ग्राम जोगापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

बबलू सिंह पुत्र मूल सिंह नि०ग्रा० कुसौली थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 46 वर्ष
कल्लू पुत्र भगवान गुप्ता नि०ग्रा० कुसौली थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 53 वर्ष
रामनरेश पुत्र जोधा पाल निग्रा कुसौली थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष
कल्लू पुत्र सुन्दरलाल नि०ग्रा० जोगापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष
छोटेलाल सरोज पुत्र भगौती नि०ग्रा० जोगापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजेश शुक्ला मय हमराह उ0नि0 कैलाश यादव, का0 अनिल कुमार, का0 भागीरथ, म०आ० अमरज्योति थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ०नि० सुमित कुमार वर्मा हमराह कां० राहुल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर फौज०वाद०सं० 645/07 धारा 149/323/352/379/447/504/506 भादवि 4/10 भारतीय वन संरक्षण अधि० थाना लालगंज प्रतापगढ़ से संबंधित वारंटी अभियुक्त कामता पुत्र जगेसर निवासीग्राम खाना पट्टी वाराडीह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कामता पुत्र जगेसर निवासीग्राम खाना पट्टी वाराडीह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० सुमित कुमार वर्मा हमराह कां० राहुल यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर के उ०नि० एनामुल अहमद मय का० रामचरन प्रजापति, का० दिलीप कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु०नं० 1011/03 धारा 323/325/504 भादवि थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ से संबंधित वारंटी अभियुक्त नन्दलाल यादव पुत्र भोलानाथ यादव निवासी उत्तर का पुरवा, देहगरी मालपुर मानिकपुर, प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नन्दलाल यादव पुत्र भोलानाथ यादव निवासी उत्तर का पुरवा, देहगरी मालपुर थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० श्री एनामुल अहमद मय का० रामचरन प्रजापति, का० दिलीप कुमार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

लिफ्ट के बहाने टप्पेबाजी की वारदात का पर्दाफाश — शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, ₹80,000 नकदी व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद

शातिर अपराधी द्वारा लिफ्ट देने के बहाने यात्री का बैग और ₹80,000/- की नकदी चोरी करने की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया; घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व सम्पूर्ण नकदी बरामद।

शातिर अभियुक्त पर जनपद के थाना कोतवाली नगर, थाना लालगंज, थाना कोतवाली देहात में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, विस्फोटक अधि० जैसे संगीन कुल 07 अपराध पंजीकृत हैं।

थाना कोतवाली देहात पुलिस व स्वाट टीम द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत बीजेपी कार्यालय टेऊंगा के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

घटना स्थल का विवरण-

दिनांक 19.05.2025 को वादी प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से ऑटो द्वारा कलेक्ट्रेट प्रतापगढ़ पहुँचा। ऑटो से उतरने के पश्चात, मोन्टी कार्लो शोरूम के सामने एक सफेद अपाचे मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति (उम्र लगभग 42 वर्ष) ने मान्धाता जाने हेतु लिफ्ट देने के बहाने वादी को अपनी बाइक पर बैठा लिया तथा बैग हैंडल पर रख लिया। कुछ दूरी पर पहुँचने के बाद उक्त व्यक्ति ने वादी को गुटखा लाने के लिए पास की दुकान पर भेजा और इस दौरान वादी का बैग, जिसमें ₹80,000/- रखे थे, लेकर फरार हो गया। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 116/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री अभिषेक सिरौही के नेतृत्व में स्वाट टीम- प्रभारी उ०नि० श्री सुनील कुमार यादव मय हमराह उ०नि० श्री दिनेश सिंह, हे०का० धनन्जय राय, का० जागीर सिंह, हे०का० मोहित राज यादव, का० अरविन्द दुबे, चालक राजेन्द्र कुमार, चालक राजेन्द्र प्रसाद सिंह व थाना कोतवाली देहात के उ०नि० अतुल तिवारी मय हमराह का० कुशल यादव, का० विश्वदीप द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 116/2025 अंतर्गत धारा 303 (2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात से संबंधित 01 अभियुक्त राकेश कुमार तिवारी पुत्र श्रीनाथ तिवारी नि० ग्राम खजुरनी रामपुर गौरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 46 वर्ष को टप्पेबाजी के 80,000/ रु० व घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटर साइकिल के साथ थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत बीजेपी कार्यालय टेऊंगा के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त राकेश कुमार तिवारी उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल अपाचे व टप्पेबाजी के 80,000/रु० बरामद किया गया है। जिसके संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317(2) की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बताया गया कि मैंने दिनांक 19.05.2025 को एक व्यक्ति जो कहीं से कमाई करके आ रहा था, जो कलेक्ट्रेट प्रतापगढ़ के पास मोन्टी कार्लो शोरूम के सामने आटो से उतरा उसका लिफ्ट देने के बहाने अपनी अपाचे मोटर साइकिल पर बैठा लिया तथा उसे बैग को अपने मोटरसाइकिल पर आगे टंकी पर रख लिया था। थोड़ा दूर आगे ग्राम पुरे बेदुआ में स्थित पेट्रोल टंकी के पास मैंने उसे मोटरसाइकिल रोक कर गुटखा लाना के लिए पास में ही दुकान पर भेज कर वहां से उसका बैग लेकर भाग कर छैवा पुल के पास से मेरे गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर सुनसान जगह देखकर मोटरसाइकिल रोक कर बैग खोलकर देखा तो

उसमें कुछ पुराने कपड़े, विस्किट, नमकीन के पैकेट एवं कुल 80,000/- रुपये पाँच पाँच सौ की नोट के मिले, बैग को नदी में फेंककर पैसा ले लिया था। पैसे को अपने घर के पास एक पेड़ के नीचे दबा दिया था। आज मैं चोरी किये हुये 80,000/- रुपये छुपायी हुई जगह से निकाल कर अपनी रिश्तेदारी लीलापुर जा रहा था तथा वहां से मुम्बई भागने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राकेश कुमार तिवारी पुत्र श्रीनाथ तिवारी नि० ग्राम खजुरनी रामपुर गौरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 46 वर्ष।

अभियुक्त राकेश कुमार तिवारी पुत्र श्रीनाथ तिवारी नि० ग्राम खजुरनी रामपुर गौरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं० 54/2019 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़।

मु०अ०सं० 55/2019 धारा 379,411,413,419,420,467,468,471 थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़।

मु०अ०सं० 442/2021 धारा 323, 354(ख), 427, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़।

मु०अ०सं० 1064/2021 धारा 147, 148, 307, 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़।

मु०अ०सं० 1069/2021 धारा 4/5 Ex Act थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़।

मु०अ०सं० 799/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज प्रतापगढ़।

मु०अ०सं० 116/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल अपाचे व अभियोग से संबंधित 80,000/रु० बरामद किया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01- उ०नि० अतुल तिवारी मय हमराह का० कुशल यादव, का० विश्वदीप थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

02- स्वाट टीम- प्रभारी उ०नि० श्री सुनील कुमार यादव मय हमराह उ०नि० श्री दिनेश सिंह, हे०का० धनन्जय राय, का० जागीर सिंह, हे०का० मोहित राज यादव, का० अरविन्द दुबे, चालक राजेन्द्र कुमार, चालक राजेन्द्र प्रसाद सिंह।

बयान- जनपद प्रतापगढ़ पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हाल ही में घटित घटना, जिसमें एक अपराधी द्वारा भोले-भाले यात्री को लिफ्ट देने के बहाने छलपूर्वक नकदी की चोरी की गई, अत्यंत निंदनीय है।

ऐसे आपराधिक कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि समाज की नैतिकता पर भी आघात करते हैं। पुलिस इस प्रकार की घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लेती है और इसके विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है, जैसा कि इस प्रकरण में देखा गया — अभियुक्त को शीघ्र गिरफ्तार कर सम्पूर्ण धनराशि बरामद की गई।

जनपद पुलिस अपराधियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि यदि कोई भी व्यक्ति भविष्य में इस प्रकार की आपराधिक हरकत करने का प्रयास करेगा, तो उसके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस की सतर्क निगरानी, तकनीकी संसाधनों एवं खुफिया तंत्र के माध्यम से जनपद में अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

साथ ही, आमजन से अपील की जाती है कि वे अजनबियों से लिफ्ट न लें, सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस और जनता के बीच आपसी सहयोग से ही एक सुरक्षित और अपराधमुक्त समाज का निर्माण संभव है।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० शिवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह हे०का० अमरनाथ गुप्ता व का० मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान व मुखबिर की सूचना पर केस नं० 330/22 धारा 128 सीआरपीसी थाना कन्धई प्रतापगढ़ से संबंधित वारंटी अभियुक्त हरिकेश यादव पुत्र रामफेर यादव निवासी ग्राम मानापट्टी राजापुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हरिकेश यादव पुत्र रामफेर यादव निवासी ग्राम मानापट्टी राजापुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० शिवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह हे०का० अमरनाथ गुप्ता व का० मनोज कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जारी-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वार गोवध अधि० व पशु क्रूरता निवारण अधि०, हत्या के प्रयास से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत बनहरिया बाग के पास से किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित/ वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री

मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना आसपुर देवसरा थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में उ०नि० राजन कुमार बिन्द मय हमराह का० नन्दकिशोर द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा के मु०अ०सं० 217/21 धारा 3/5/8 गौबध अधि०, 429 भादवि थाना आसपुर देवसरा व मु०अ०सं० 227/21 धारा 147/148/149/307/120बी भादवि व धारा 3/5A /8 उ०प्र० गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० से संबंधित 01 अभियुक्त सेराज अहमद पुत्र लल्लू उर्फ लाल मोहम्मद उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम लेदराही थाना खेतासराय जनपद जौनपुर को थाना क्षेत्रान्तर्गत बनहरिया बाग के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- सेराज अहमद पुत्र लल्लू उर्फ लाल मोहम्मद उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम लेदराही थाना खेतासराय जनपद जौनपुर।

अभियुक्त सेराज अहमद पुत्र लल्लू उर्फ लाल मोहम्मद उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम लेदराही थाना खेतासराय जनपद जौनपुर का आपराधिक इतिहास-

01-मु०अ०सं० 217/21 धारा 3/5A / 8 उ०प्र० गोवध निवा० अधि० व 429 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

02-मु०अ०सं० 227/21 धारा 147/148/149/307/120बी भादवि व धारा 3/5A/ 8 उ०प्र० गोबध निवा० अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० राजन कुमार बिन्द मय हमराह का० नन्दकिशोर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म, धमकी के अभियोग से संबंधित 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर के उ०नि० रामनारायण सिंह मय हमराह का० रामलखन यादव व का० विपिन कुमार द्वारा दिनांक 31.05.2025 को रोकथाम जुर्म जरायम में देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित वारंटी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना मान्धाता में पंजीकृत अभियोग मु०अ०सं० 70 / 25 धारा 64(1) / 351 (3) बी०एन०एस० से संबंधित 01 बाल अपचारी को पूरेधनऊ चौराहा के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

बाल अपचारी का विवरण- 01- 01 बाल अपचारी।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० रामनारायण सिंह मय हमराह का० रामलखन यादव व का० विपिन कुमार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा सक्रिय 05 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग किया गया पंजीकृत-

एसपी प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा गोवध, पशु कुरता व गोवंश परिवहन जैसे संगीन अपराध कारित करने वाले कुल 05 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

प्रतापगढ़ ।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज डॉ० श्री संजीव गुप्ता व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री अजय कुमार मिश्र के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है ।

थाना कुण्डा -

अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में दिनांक 30.05.2025 को सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के /सदस्य 1. दानिश खान उर्फ हैदर अली पुत्र जफर खान निवासी मोहतरम पुर थाना मानिकपुर जिला प्रतापगढ़, 2. इकबाल अंसारी पुत्र स्व० शरीफ हाजी निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली, 3. मोहसिन पुत्र इकबाल निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली, 4. कैफ अहमद पुत्र लईक अहमद निवासी मन्नान की बाजार थाना कुण्डा जिला प्रतापगढ़ एवं 5. शौकीन पुत्र इकबाल अंसारी निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली के विरुद्ध थाना कुण्डा में मु०अ०सं० 140/2025 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

अभियुक्त अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित तरीके से गोवध, पशु कुरता व गोवंश परिवहन के अपराधों को कारित किया है ।

गैंग लीडर दानिश खान उर्फ हैदर अली पुत्र जफर खान निवासी मोहतरम पुर थाना मानिकपुर जिला प्रतापगढ़ ने अपने सह सदस्य 1. इकबाल अंसारी पुत्र स्व० शरीफ हाजी निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली, 2. मोहसिन पुत्र इकबाल निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली, 3. कैफ अहमद पुत्र लईक अहमद निवासी मन्नान की बाजार थाना कुण्डा जिला प्रतापगढ़ एवं 4. शौकीन पुत्र इकबाल अंसारी निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रखा है जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय है । इस गैंग के द्वारा दिनांक 28.08.2024 को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत मदरियापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास गढ़दे में फसी पिकअप व 07 राशि गौवंश बरामदगी के संबंध में थाना कुण्डा पर मु०अ०सं०- 248/24 धारा 3/5/8 उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति कुरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था ।

इस गिरोह के गैंगलीडर दानिश खान उर्फ हैदर अली व सदस्य इकबाल अंसारी, मोहसिन, कैफ अहमद, शौकीन के विरुद्ध जनपद के भिन्न-भिन्न थानों में गोवध/ गोवंश परिवहन व पशु क्रूरता जैसे मुकदमों में अभियोग पंजीकृत है।

1- दानिश खान उर्फ हैदर अली पुत्र जफर खान निवासी मोहतरम पुर थाना मानिकपुर जिला प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 248/24 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0 140/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

2- इकबाल अंसारी पुत्र स्व0 शरीफ हाजी निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 248/24 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0 140/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

3- मोहसिन पुत्र इकबाल निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 248/24 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0 140/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

4- कैफ अहमद पुत्र लईक अहमद निवासी मन्नान की बाजार थाना कुण्डा जिला प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 248/24 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0 140/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0-195/24 धारा 310(2) बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

5- शौकीन पुत्र इकबाल अंसारी निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 248/24 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0 140/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।